रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231310 CG-DL-E-23112021-231310

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4474] No. 4474] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

का.आ. 4841(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एतदद्वारा हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संस्थापित प्राधिकरण "हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण" पंचकुला (PAN AAALH0475J) को उस प्राधिकरण को उत्पन्न होने वाली विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है:-

- (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनार्थ केंद्रीय प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (एनएएलएसए) से प्राप्त अनुदान;
- (ख) हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान अथवा दान;
- (ग) न्यायालयों के आदेश के अंतर्गत प्राप्त राशि:
- (घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा
- (ङ) जमा राशियों पर अर्जित ब्याज आय।
- 2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला,-

6782 GI/2021 (1)

- (क) कोई वाणिज्यिक कार्य-कलाप नहीं करेगा;
- (ख) विनिर्दिष्ट आय के कार्य-कलाप तथा प्रकृति पूरे वित्त वर्ष अपरिवर्तित रहेंगे; तथा
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।
- 3. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए लागू किया गया समझा जाएगा तथा वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 133 /2021/फा.स.300196/7/2021-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापनः प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2021

- **S.O. 4841(E)**.—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Haryana State Legal Services Authority' Panchkula (PAN AAALH0475J), an authority constituted by the State Government of Haryana, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-
 - (a) Grants received from Central Authority i.e. National Legal Services Authority (NALSA) for the purposes of the Legal Service Authorities Act, 1987;
 - (b) Grants or donations received from the State Government of Haryana;
 - (c) Amount received under the orders of Courts;
 - (d) Fee received as recruitment application fees; and
 - (e) Interest income earned on deposits.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that Haryana State Legal Services Authority, Panchkula,-
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2020-2021 and shall apply with respect to the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 133 /2021/F. No. 300196/7/2021-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.